20 COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

170

समक्ष श्रीमान् म. प्र. राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर, जबलपुर ।म0 प्र0।

पुनरीक्षण क्रमांक: 105/06-07 R-926-II/14

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर
शाखा ... रीडर
07 AUG 2007
कमिश्नर Commissioner
अधीक्षक Supdt.

श्रीमती कविता देवी पति गोविन्द सचदेवा
निवासी- राधास्वामी सत्संग भवन के पास,
जगमोहनदास वार्ड तहसील व
जिला कटनी. ।म0 प्र0। ----- आवेदिका

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन
द्वारा उपपंजीयक कटनी.

2. मुद्रांक संग्राहक, जबलपुर

3. कमल कुमार पिता श्री दशरथ लाल जी जैन ।विक्रेता।
निवासी रघुनाथगंज वार्ड
तहसील व जिला कटनी. ।म0 प्र0।

785
... पोस्ट द्वारा आज 10.3.14 को प्राप्त
10.3.14
... ग्वालियर

------ अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा- 47 ।क। ।5। भा. स्टाम्प अधि. नियम

आवेदक श्रीमान् न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर म0 प्र0 द्वारा प्रकरण क्र0- 386 बी. 105/2006-07 पक्षकार कविता देवी विरुद्ध म0 प्र0 शासन वगैरह पारित आदेश दिनांक 3/3/2007 से क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर पुनरीक्षण निर्णार्थ हेतु प्रस्तुत करती है ।

प्रकरण के तथ्य :-

।1। यह कि, आवेदक ने रघुनाथ गंज वार्ड कटनी में स्थित विक्रय शुदा मु. मकान नं0- पुराना 300, नया 260 का अंश का भूतल एरिया कुल 327 वर्गफुट ।30x39। वर्गमीटर । है । उक्त मकान को क्रेता ने ।आवेदिका। ने उत्तरवादी क्रमांक- 3 से कीमत 3,00,000/- रु0 अंकन ।तीन लाख रुपये। में विक्रय पत्र दिनांक 20/7/2005 को खरीदा है ।

।2। यह कि, विक्रय शुदा मकान रघुनाथ गंज वार्ड में स्टेशन रोड मुख्य मार्ग से अन्दर है व गली में है । जो कि लगभग 55-60 वर्ष पुराना

...2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 926–दो/14 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–8–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 386/बी–105/06–07 में पारितआदेश दिनांक 3–3–07 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 47 (क) (5) के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कय की गई संपत्ति के संबंध में उप पंजीयक, कटनी द्वारा प्रचलित दरों के आधार पर कम मूल्यांकित होने के कारण उप पंजीयक ने प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को उचित मूल्यांकन हेतु प्रेषित किया । प्रकरण प्राप्त होने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने आवेदक को सूचना पत्र जारी कर प्रकरण में दिनांक 31–10–05 को आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3–3–07 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अवधारित मूल्य में 30 प्रतिशत की कमी किए जाने के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय में यह निगरानी पेश की है । 3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक को पक्षकारों के उपस्थित न होने के कारण उन्हें 10 दिवस में लिखित बहस पेश करने का समय	

निग. – 926-दो/14 (भटनी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 4/ अभिलेख का का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य संपत्ति के मूल्यांयकन के संबंध में है । पंजीयक के अनुसार स्थल निरीक्षण के उपरांत मूल्यांकन किया गया जबकि अपर आयुक्त के अनुसार मूल्यांकन जिस आधार पर किया गया है उसके लिए कोई ठोस आधार नहीं है । स्थल निरीक्षण में पक्का निर्माण, गोडाउन के उपयोग को गली में स्थित होना बताया गया है इस कारण अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा किए गए मूल्यांकन में 30 प्रतिशत कमी करके अपील को अस्वीकार किया है । उपरोक्त परिस्थिति में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह हस्तक्षेप योग्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	